# BULANDSHAHR POLICE

**दिनांक 02 मार्च, 2025** **थाना सिकन्द्राबाद**

**फायरिंग की घटना में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी, अवैध असलहा कारतूस बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.02.2025 को वादी टीनी भाटी पुत्र लेखराज सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ने थाना सिकन्द्राबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 27.02.2025 की रात्रि में वादी के पिता लेखराज सिंह अपने भतीजे के साथ बाइक से सिकन्द्राबाद से गांव आ रहे थे रास्ते में दनकौर रोड़ पर रघुवर दयाल भट्टे के पास स्विफ्ट कार नं0- DL-3CCZ-2283 सवार व्यक्ति ने उनकी कमर में गोली मारकर घायल कर दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 205/25 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/छानबीन में कर्नल, विजय, इन्द्रजीत व एक अन्य फरार अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिनमें से अभियुक्त कर्नल, विजय व इन्द्रजीत को आज दिनांक 02.03.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त गाड़ी व अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 213/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. कर्नल पुत्र रघुवर सिंह निवासी लुक्सर थाना ईकोटैक प्रथम जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. विजय पुत्र महीपाल सिंह निवासी उपरोक्त।
3. इन्द्रजीत पुत्र हरीशचन्द्र निवासी उपरोक्त।

**बरामदगी-**

1. 01 स्विफ्ट कार नं0 DL-3CCZ-2283
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

**घटना का विवरणः-** गिरफ्तार तीनो अभियुक्त अपने एक अन्य फरार साथी के साथ दिनांक 27.02.2025 को बुलन्दशहर में एक शादी समारोह में सम्मिलित होकर स्विफ्ट कार नं0 DL-3CCZ-2283 से लुक्सर थाना ईकोटैक प्रथम जनपद गौतमबुद्धनगर जा रहे थे तथा थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत दनकौर रोड़ पर साइड न मिलने पर लेखराज सिंह उपरोक्त की कमर में गोली मारकर घायल कर दिया तथा सभी गाड़ी से मौके से फरार हो गये थे।

**अभियुक्त कर्नल का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं- 220/22 धारा 147/148/323/342/504/506 भादवि थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मुअसं- 222/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. मुअसं- 205/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 213/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**अभियुक्त विजय व इन्द्रजीत का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं- 205/25 धारा 109(1) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री अनिल कुमार शाही प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
2. निरीक्षक सरजेश कुमार,
3. उ0नि0 सर्वेश कुमार, उ0नि0 यतेन्द्र शर्मा
4. है0का0 हरवेन्द्र सिंह, का0 सचिन कुमार, का0 रोहित, का0 राहुल

**मीडिया सेल बुलंदशहर**